

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



अति आवश्यक

क्रमांक एफ 70()ग्रावि/नरेगा/प्रशि./मु.ज.स्वा.अभि./2015-16

जयपुर, दिनांक

21 MAR 2016

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर,
जिला जयपुर, दौसा, झुन्झुनु, सीकर, अलवर।

विषय- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की क्रियान्विती के क्रम में।

सन्दर्भ- विभागीय आदेश क्रमांक एफ.21(03) आजभूस/मुमजस्वाअ/2016/8329
-8413 दिनांक 10.03.2016 के क्रम में।

महोदय

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की समयबद्ध क्रियान्विती, गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादन, योजना क्रियान्विती के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं कठिनाईयों आदि के निराकरण हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जयपुर सम्भाग का प्रभारी बनाया गया है। आपके सम्भाग/ जिले में संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की गतिविधियों की निरन्तर समीक्षा की जानी है।

जिले की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रति सोमवार को आवश्यक रूप से जरिये ईमेल semgnrega@gmail.com पर भिजवाने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न गतिविधियों पर समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

1. प्रथम चरण के चयनित गांव की डीपीआर अनुसार समस्त कार्यों की वित्तीय स्वीकृति **31 मार्च 2016** तक जारी करना।
2. स्वीकृत कार्यों हेतु निविदा निर्धारण कर कार्यादेश जारी करना।
3. प्रथम चरण के कार्य **30 जून 2016** पूर्ण कराये जाने हैं। डी.पी.आर. अनुसार इन कार्यों को कब तक, किस-किस प्रकार सम्पादित कराया जाना हैं, के सम्बन्ध में रोडमैप (कार्य योजना) तैयार कर भिजवाना।
4. डीपीआर में शामिल समस्त कार्यों की **Geo Tagging 31 मार्च 2016** तक पूर्ण करवाना।
5. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए पृथक से वेवसाईट (www.water.rajasthan.gov.in) बनाई गई है। इस वेवसाईट पर समस्त सूचनाएँ अपलोड की जानी हैं। जिसमें **प्रपत्र 18 ए तथा 18 बी**, प्रगति रिपोर्ट आदि नियमित अपलोड कराया जाना।
6. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की वेवसाईट के माध्यम से ही समस्त स्वीकृतियाँ ऑनलाईन जारी की जानी हैं, जो स्वीकृतियाँ पूर्व में जारी की गई हैं, उन्हें **31 मार्च 2016** तक आवश्यक रूप से अपलोड कराना।
7. अभियान की डी.पी.आर. अनुसार उपलब्ध राशि के अतिरिक्त आवश्यक राशि जन सहयोग, श्रमदान, दानदाताओं, उपकरण/मशीन आदि की व्यवस्था करना।

8. प्रथम चरण की डी.पी.आर में गांव के कुछ ऐसे स्थानों का GEO Tagging के माध्यम से चिन्हीकरण किया गया है, जहां मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का कोई कार्य नहीं लिया गया है। ऐसे स्थलों को चिन्हीत कर जरिये ईमेल आवश्यक मैप्स आपको भिजवाये गये हैं। इन स्थलों का निरीक्षण कराकर डी.पी.आर. में शामिल कर स्वीकृत करना।
9. महात्मा गांधी नरेगा निधियों से प्रस्तावित कार्यों में ग्रामवार आवश्यक श्रम नियोजित कर **30 जून 2016** तक समस्त स्वीकृत कार्य पूर्ण कराना।
10. फसल कटाई के तुरन्त पश्चात व्यक्तिगत लाभ के कार्य सम्पादित कराना। जिससे **30 जून 2016** तक डी.पी.आर. में शामिल समस्त कार्य पूर्ण हो सकें।
11. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में कार्यों की प्रगति की समीक्षा मोबाईल एप के माध्यम से की जानी हैं। समस्त सम्बन्धितों को विस्तृत प्रशिक्षण एवं मोबाईल एप के उपयोग हेतु मोबाईल फोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।



(रोहित कुमार)
आयुक्त, (ईजीएस)

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, रिवर बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
3. निजी सचिव, सम्भाग प्रभारी, सम्भाग जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, जयपुर, दौसा, झुन्झुनु, सीकर, अलवर।
5. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
6. परियोजना निदेशक (ईजीएस) जयपुर सम्भाग के जिलों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की गतिविधियों की समीक्षा कर आयुक्त महोदय ईजीएस को निरन्तर अवगत कराने हेतु।
7. मुख्य कार्य० अधि० एवं अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस जि०प० समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस को अपलोड कराने हेतु।
9. पीडी एम एण्ड ई वेवसाईट एमजेएसए हैड में अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली

जई २१-०३-१६

परियोजना निदेशक, ईजीएस